



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./06/80/2022/एफ.सी.

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -309 ए किमी० 171.00 से किमी० 206.00 (बेरीनाग- चकौड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, लो० नि० वि० को प्रत्यावर्त।

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2284/12-1: देहरादून: दिनांक 20.03.2025 (received online on 23.04.2025).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2024 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं। इस संदर्भ में यह लेख है कि राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per Part-II of the proposal, total numbers of trees are counted in the proposed diversion area are 5981 and as per submitted enumeration list total numbers of trees in proposed forest area are 7882. The concern DFO shall submit and upload the correct tree details.
2. The User Agency shall upload a proper KML file of proposed diversion area.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।